उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012

विश्लेषण एंव बदलाव के लिये अनुशंसाएं

प्रस्तुतीकरण

श्रीमती माया दारूवाला, निदेशिका

श्री वेंकटेश नायक एंव श्री अमिकर परवार

Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
B - 117, First Floor, Sarvodaya Enclave,
New Delhi – 110 017
Tel: 011 - 43180216 / 43180215
Fax: 011 - 2686 4688
Email: director@humanrightsinitiative.org
venkatesh@humanrightsinitiative.org and amikar@humanrightsinitiative.org

March 2013

विषय-सूची

1. परिचय...1

2. परिभाषाओं से संबंधित नियमावली...............................2

3. सूचना के स्वतः प्रकटन से संबंधित नियमावली...................3

4. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित नियमावली...............5

5. सूचना हेतू शुल्क से संबंधित समस्यात्मक नियमावली............11

6. सूचना हेतू शुल्क से संबंधित नियमावली गरीब विरोधी हैं..........14

7. राज्य लोक सूचना अधिकारी के कर्त्तव्य से संबंधित नियमावली....16

8. प्रथम अपील से संबंधित समस्यात्मक नियमावली................18

9. राज्य सूचना आयोग कार्यप्रणाली से संबंधित समस्यात्मक नियम...21

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012

विश्लेषण एंव बदलाव के लिये अनुशंसाएं

1. परिचय

1.1 सन 2005 में कइ राज्यों से पहले उत्तराखंड राज्य सरकार ने सूचना का अधिकर अधिनियम को लागू किया था एंव इस अधिनियम को गंभीरता से लागू करने के लिए लोक सूचना अधिकारीयों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.इ.) ने उक्त प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन एंव संचालन में तकनीकी सहायता प्रदान किया था एंव उत्तराखंड राज्य के नैनीताल स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ मिलकर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था। मूल अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सूचनओं के स्वतः प्रकटन को लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेस के साथ जो मॉडल को विकसित किया था उसे केन्द्र सरकार के द्वारा भी अपनाया गया था। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2005 को सूचना लेने हेतू जरूरी शुल्क, प्रथम अपील तथा उत्तराखंड सूचना आयोग में दायर किये जाने हेतू द्वितीय अपील से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए वृहत एंव विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये थे।

1.2 जनवरी 2013 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने नये नियमों को बनाया है । सूचनओं के लिए शुल्क, प्रथम अपील तथा उत्तराखंड सूचना आयोग में दायर किये जाने हेतू द्वितीय अपील से संबंधित नियमों को एक साथ एक ही नियम में संकलित किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है जिससे नगरिकों को एक दस्तावेज में सूचना के अधिकार से संबंधित सभी नियम मिल जायेंगे। परन्तु नये नियमों को बनाने में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मूल अधिनियम की धारा 27 में दिये गये नियम बनाने की शक्तियों का पालन करने में मूल अधिनियम की मंशा का अनुसरन नहीं किया है है। वस्तुतः पुराने नियम मूल अधिनियम के अनुसार एंव उनके दायरे में ही बनाए गये थे परन्तु नये नियम के कुछ प्रावधान नागरिकों, अपीलकर्ताओं तथा शिकायतकर्ताओं के लिए भ्रांति एंव संशय की स्थिति उतपन्न कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने नये नियम बनाने की आवश्यकता के समर्थन में न तो कोइ भी स्पष्टीकरन जारी किया है और न ही सूचना को प्राप्त

करने में नये नियमों नये प्रतिबंधों को लगाये जाने के कारण बतलाये हैं। 2004-2005 में सरकार एंव आम नागरिक समाज के सयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम को बनाया गया था तथा सूचना के आदान--प्रदान हेतू साधारण एंव सरल तरीके बनाये गये थे। परन्तु नये नियमों को बनाने से पूर्व उत्तराखंड राज्य सरकार ने नागरिक समाज के साथ किसी भी प्रकार का कोइ संवाद नहीं किया है। नये नियमों के अनेक नियम नागरिकों के अनूकूल नहीं हैं एंव गरीब विरोधी हैं।

उत्तराखंड आर.टी.आइ. क्लब के अधिकारीयों के द्वारा 11 जनवरी 2013 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को महोदय के समक्ष जो विश्लेषण प्रस्तुत किये गये हैं उसे अनुमोदित करते हुए सी.एच.आर.इ. उत्तराखंड राज्य सरकार से इन नियमों को लागू नहीं किये जाने का निवेदन करता हैं एंव इन नियमों को लागू करने से पूर्व नागरिक समाज तथा उत्तराखंड सूचना आयोग के सहयोग से इन नियमों को लागू करने से होने वाले प्रभावों के पक्ष एंव विपक्ष की पूरी विवेचना करने की अपील करता है ।

सी.एच.आर.इ. ने नये नियमों को सूचना का अधिकार के मूल अधिनियम 2005 तथा अन्य राज्यों के द्वारा बनाये गये नियमों के उत्तम प्रक्रियाओं के परिपेक्ष्य में विश्लेषित किया है। सी.एच.आर.इ. के द्वारा किये गये विश्लेषणों के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

नियमों के सुधार करने योग्य पहलू

2 परिभाषाओं से संबंधित नियमावली

2.1 नये नियमावली के नियम संख्यां 2(छ), (ज) एंव नोट में क्रमशः ‘सूचना’, ‘सूचना का अधिकार’ एंव ‘अभिलेख’ की दी गयी परिभाषा मूल अधिनियम की धारा 2(f), (j) एंव (i) से शब्द्शः मिलती है। यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है की यदि मूल अधिनियम में किसी शब्द को परिभाषित किया जाता है तो उक्त परिभाषा उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों पर भी लागू होगी। वस्तुतः मूल प्रावधानों में बतलायी गयी चीजों को लागू करने हेतू सक्षम प्राधिकारियों को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग मूल अधिनियम में परिभाषित शब्दों को नये तरीके से परिभाषित करने के लिए अथवा नये प्रतिबंध उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मूल अधिनियम की धारा 2(h) के साथ पठित 2 (j) में 'सूचना' की परिभाषा से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है की 'सूचना' का मतलब लोक प्राधिकरनों

के अधीन एंव नियंत्रण में उपलब्ध एंव धारित सूचना से होगा। नये नियमों में व्याख्यात्मक नोट ‘एक’ एंव ‘दो’ के आधार पर लोक सूचना अधिकारी रिकार्डों का प्रतिपरीक्षण किये बिना सूचना के आवेदनों को निरस्त कर सकते हैं। प्रायः यह देखा गया है की लोक सूचना आधिकारी प्रश्नों के रूप में लिखे गये सूचना आवेदनों को निरस्त कर देते हैं। यदि इस नियम को लागू कर दिया गया तो लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों के रूप में लिखे गये सूचना आवेदनों को रिकार्डों का प्रतिपरीक्षण किये बिना निरस्त कर देंगे। नये नियम संख्यां 2(छ) लोक सूचना अधिकायों को रिकार्डों का प्रतिपरीक्षण किये बिना सूचना के आवेदनों को निरस्त करने का अतिरिक्त आधार देते हैं। यदि इस नियम को लागू किया गया तो लोक सूचना अधिकायों के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक प्रथम अपील के माध्यम का उपयोग करेंगे जो कि अनावश्यक रूप से लोक प्राधिकरनों एंव उत्तराखंड सूचना आयोग के काम में बढोतरी की वजह बनेगा।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 2(छ) को हटा देना चाहिए।

3. सूचना के स्वतः प्रकटन से संबंधित नियमावली

3.1 नियम संख्यां 3 में राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना जारी कर स्वतः प्रकटन से संबंधित सूचनाओं को ‘विहित’ करने का अधिकार दिया गया है। ये नियम मूल अधिनियम की धारा 4(1) (b) (xvii) को लागू करने के उद्देश्य से बनायी गयी है जिसमें समुचित सरकारों के द्वारा के द्वारा 16 प्रकार की वे सूचनांए जो स्वतः प्रकट्न की जाने योग्य हैं की सूची दी गयी है। उत्तराखंड राज्य सरकार का उद्देश्य स्वागत योग्य है परन्तु जिन चीजों के प्रकटन हेतू मूल अधिनियम में सूची दे दी गयी हो उनको नियमों के माध्यम से विहित किये जाने के लिए बतलाया जाने की कोइ आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः उत्तराखंड राज्य सरकार को नियमों के माध्यम से स्वतः प्रकट्न की जाने योग्य सूचनाओं की सूची के विषय में बतलाया जाना चाहिए। मूल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित सरकार अपने नियम बनाने की शक्ति को किसी प्राधिकरण के लिए एंव बाद की तिथि में लागू करने के लिए नहीं छोड सकती। मूल अधिनियम की धारा 4(1)(b)(xvii) में जो सूची बतलायी गयी है, लोक प्राधिकरन उससे अलग कोइ और सूची नहीं विहित कर सकती। स्वतः प्रकट्न से संबंधित नियमों में राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 4(1)(b)(xvii) की सीमा में रह कर ही स्वतः प्रकटन से संबंधित नियम बनाने होंगे। लोक सूचना अधिकारी मूल अधिनियम

की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत स्वतः प्रकट्न से संबंधित नियमों की संरक्षा करता है। मूल अधिनियम की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं के नवीनीकरण की जिम्मेवारी लोक प्राधिकरण की होती है न की लोक सूचना अधिकारीयों की।

मूल अधिनियम की धारा 4(1) (b) के अनुसार :

" 4. (1) Every public authority shall—

X X X

b) publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act,—

X X X

thereafter update these publications every year;"

अतः सूचनाओं के नवीनीकरण की जिम्मेवारी लोक सूचना अधिकारीयों की नहीं हो सकती क्योंकि सूचनाओं के नवीनीकरण करने हेतू पर्याप्त संसाधन लोक सूचना अधिकारियों के पास नहीं होते। वस्तुतः यह जिम्मेवारी लोक प्राधिकरन के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल की होनी चाहिए जो की सूचनाओं का मूल्यांकन कर उनके प्रकटन पर निर्णय लेंगे। नये नियमों में मूल अधिनियम की धारा 4(1) (c) (d) को लागू करने के लिए कोइ भी दिशा निर्देश नहीं दिये गये हैं।

मूल अधिनियम की धारा 4(1) (c) (d) के अनुसार : बेयर एक्ट

" 4. (1) Every public authority shall—

X X X

(c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

(d) provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons."

3.2 स्वतः प्रकटन से संबंधित ये नियम नियमित अंतराल पर लोक प्राधिकरनों के द्वारा आम नागरिकों के हित में सूचनाओं के प्रकटन के विषय में बताते हैं। यदि स्वतः प्रकटन से संबंधित धाराओं 4(1) (b), (c) एंव (d) को मूल अधिनियम में बतलाये गये शैली से लागू किया जाता है तो सूचनाओं के लिए आवेदनों की संख्यां में बडे पैमाने पर कमी आयेगी एंव लोक सूचना अधिकारीयों को अन्य कार्यों के लिए ज्यादा समय मिल पायेगा। [मूल अधिनियम में कृप्या 'प्रसार' (dissemination) की परिभाषा देखें]। मूल अधिनियम की धारा 4(1) को लागू करने के लिए नियमों में कोइ प्रावधान नहीं बतलाये गये हैं। लोक प्राधिकरणों के अधीन एंव नियंत्रण में आये नये सूचनाओं को नियमित अंतराल पर आम नागरिकों तक स्वतः प्रकटन के माध्यम से बताये जाने के लिए राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत नियम बनाने चाहिए।

लोक प्राधिकरनों के अधीन एंव नियंत्रण में आये नये सूचनाओं को नियमित अंतराल पर आम नागरिकों तक स्वतः प्रकटन के माध्यम से बताये जने के लिए राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत नियम बनाने के प्रावधान से नियम बनाकर उन्हें नियम संख्यां 3 से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

4. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित नियमावली

4.1 नियम संख्यां 5(ख) के अनुसार अनुरोध पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि न दिये जाने की दशा में अनुरोध पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। ये नियम सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है क्योंकि इस नियम के लागू होने से आवेदन शुल्क के नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पर कोइ भी निर्णय नहीं लेने की छूट मिल जाएगी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 के तहत बनाए गए ये नियम, मूल अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं और सूचना के अधिकार के उद्देश्य को हतोत्सहित करते हैं। नियम बनाने का अधिकार मूल अधिनियम को लागू करने के लिये होता है न कि उसे हतोत्सहित करने के लिये।

लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य है की वो सूचना का आवेदन प्राप्त होने पर उस पर उचित कार्यवाही करे। मूल अधिनियम के अनुसार 30 दिनों की समय सीमा सूचना के आवेदन पर सूचना देने के लिये है। यदि 30 दिनों की समय सीमा में आवेदन शुल्क नहीं दिया गया अथावा आवेदन शुल्क नहीं देने की छूट नहीं मांगी गयी, तो सूचना नहीं दी जायेगी। मूल अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वो आवेदक को सूचना लेने में युक्तियुक्त सहायता प्रदान करे। सूचना के आवेदन पर शुल्क के आभाव में कोइ भी कार्यवाही नहीं करना मूल अधिनियम की धारा 5(3) में लोक सूचना अधिकारी के लिये बतलाये गये कर्त्तव्य से विपरीत है। लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वो आवेदक को शुल्क प्रदान करने के लिये अथवा गरीबी रेखा से नीचे होने पर छूट के लिये योग्य होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ में देने हेतू सूचित करे। उपरोक्त में से कोइ भी एक निर्णय लेने के पश्चात ही 30 दिनों की समय सीमा शुरू होती है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने *Dr. BJ Waghdhare vs Nuclear Power Corp. of India Ltd. (Appeal Number CIC/WB/A/2006/00323* निर्णय की तिथि 8/12/2006) के निर्णय में स्पष्ट रूप से

निर्देशित किया है की अनुरोध पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि का न होना आवेदन पर विचार नहीं किये जाने का आधार नहीं हो सकता।

> *"3. ……. Under Sec. 7(1), on receipt of a request u/s 6, the CPIO shall as expeditiously as possible and* ***in any case within 30 days of the receipt of the request provide the information on*** *payment of such fee as may be prescribed. It is, therefore, clear that* ***whereas the information may be provided only once the fee is received, it is not open to the CPIO to begin process of the application for information from the date the fee is received."*** [emphasize in the original]

अतः केंद्रीय सूचना आयोग ने के निर्णय के परिपेक्ष्य में नियम संख्या 5(ख) से अनुरोध पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत न होने की दशा में अनुरोध पत्र पर विचार नहीं किये जाने के प्रावधान को नियमों से हटा देना चाहिए है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः
नियम 5(ख) को नियमों से हटा देना चाहिए।

4.2 नियम संख्यां 5 (ग) के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्राधिकरणों के लोक सूचना अधिकारियों अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ पृथक-पृथक अनुरोध पत्र दिये जायेंगे। इसमें कोइ दो राय नही है की ये नियम मूल अधिनियम की धारा 6(1) को लागू करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं परन्तु आवश्यक निर्देशों के आभाव में ये आवेदकों के लिये असुविधा कारण बनेंगे। ऐसी व्यवस्था के लागू होने से प्रत्येक लोक प्राधिकरनों को आम जनों की जानकारी हेतू सभी लोक सूचना अधिकारियों अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूची प्रकाशित करनी होगी। ऐसा नहीं करने से आम जनों को सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना से संबंधित प्रत्येक लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की जानकारी रखनी होगी जो कि व्यावारिक नहीं है। चूंकि लोक प्राधिकारियों के अनेक विभाग होते हैं और उन विभागों से संबंधित कामों के वितरण की जानकारी आम लोगों को नहीं होती अतः पृथक-पृथक अनुरोध पत्र दिये जाने जैसे नियम, सूचना के अधिकार के आवेदन में कठिनाइ उतपन्न करेंगें। उधाहरण के लिये कुछेक राज्यों में जिला पुलिस अधिकारी को लोक प्राधिकरण का दर्जा दिया जाता है एंव लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी, पुलिस थानों में बनाये जाते हैं। ये पुलिस थाने लोक प्राधिकरण नहीं होते हैं परन्तु संबंधित जिला मुख्यालय जो कि लोक प्राधिकरण होते हैं उनके अंगीभूत ईकाइ होते हैं। अतः तकनीकी रूप से विभिन्न पुलिस थानों से संबंधित सूचना के लिये आवेदन जिला मुख्यालय में

दिया जा सकता है। यदि सूचना के लिये आवेदन किसी एक लोक प्राधिकरन के विभिन्न विभागों से संबंधित हो तो नियम संख्यां 5(ग) का दुरूपयोग की संभावना होगी जो की आवेदकों के द्वारा भविष्य में अपील का कारण बनेंगी। नियम संख्यां 5(घ) को तभी लागू करना चहिए जब प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा उनके सभी लोक सूचना अधिकारीयों की सूची, उनके अधिकृत विभागों के नाम के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (b)(XVI) के अन्तर्गत प्रकाशित हो। उत्तराखंड सरकार का भी कर्त्तव्य है की आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना हेतू आवेदन देने हेतू शिक्षित किया जाये। वस्तुतः प्रशिक्षिण पर विशेष ध्यान होना चाहिए न की नियमों के माध्यम से सूचना के आधिकार पर प्रतिबंध लगाये जाने पर।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

- **नियम संख्यां 5(ग) नियमों से हटा देना चाहिए।**
- **उत्तराखंड राज्य सरकार के सभी लोक प्राधिकणों की सूची बनाकर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के द्वारा बतलाये गये माधयम से नागरिकों के बीच प्रचारित किया जाना चाहिए।**
- **उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रयोग करने हेतू आम नागरिकों को शिक्षित किया जाने के उद्देश्य से को गंभीर कदम उठाये जाने के लिये संसाधन एंव धन की व्यव्स्था की जानी चाहिए।**

4.3 नये नियमों की नियम संख्यां 5(घ), नियम संख्यां 2(छ) की व्याख्या से संबंधित है। उक्त व्याख्या में बतलाया गया है कि उक्त परिभाषा को हटाये जाने की आवश्यकता है। उक्त टिप्प्णी के आधार पर नियम संख्यां 5(घ) को भी नये नियमों से हटाए जाने की आवश्यकता है। यदि मांगी गयी सूचना, सूचना के रूप में मौजूद नहीं हो तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को इस बात की सूचना देगा। ऐसी परिस्थिति में न्यायोचित कदम उठाने के लिये लोक सूचना अधिकारीयों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है न कि नियम बनाये जाने की। ऐसे नियम लोक सूचना अधिकारीयों को आवेदन की गहराइ में गये बिना आवेदनों को निरस्त करने के आधार देते है। प्रायः यह देखा गया है की लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों के रूप में लिखित आवेदनों को निरस्त कर देते हैं। ऐसा किया जाना सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

होता है एंव आवेदकों के सूचना के अधिकार मूल अधिकार का हनन भी करते हैं। प्रक्रियाओं के आधार पर आवेदकों के सूचना के अधिकार के मूल अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 5(घ) नियमों से हटा देना चाहिए तथा सूचना के आवेदनों पर सकारात्मक तरीके से कार्यवाहित करने के लिये सभी लोक सूचना अधिकारीयों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशालाओं में इन दिशा निर्देशों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

4.4 नियम संख्यां 5(छ) के अनुसार यदि सूचना के लिए आवेदनों में संबंधित लोक प्राधिकरण जससे सूचना मांगी गयी है के विषय में पर्याप्त जानकारी न हो तो, लोक सूचना अधिकारी किसी भी लोक प्राधिकरण को, जो उनके मंतव्य के अनुसार सूचना धारित करते हों उनको आवेदन स्थानांतरित सकता है। इस नियम के भी दुरूपयोग किये जाने की पूरी संभावना प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के माधयम से नागरिकों के बीच प्रसारित किया जाना उत्तराखंड राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए की सभी लोक प्राधिकरन धारा 4 का अनुपालन करें एंव सूचनाओं का स्वतः प्रकटीकरण नियमित अंतराल पर करें। सूचनाओं का स्वतः प्रकटीकरण सूचना का अधिकर अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत यदि ऐसा किया गया तो लोक सूचना अधिकरी के लिये सही लोक प्राधिकरण को चिन्हित करना आसान हो जाएगा। यदि इस नियम को लागू किया गया तो लोक सूचना अधिकारीयों द्वारा सूचना के आवेदन को निरस्त करने का आधार बन सकतें हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा सूचना के आवेदनों को सहज एंव सकारात्मक तरीके से कार्यवाहित करने के लिये सभी लोक सूचना अधिकारीयों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिए। यदि इस नियम को लागू किया गया तो प्रथम अपील के बढ़ने की भी संभावनां भी होती हैं क्योंकि जो भी आवेदक लोक सूचना अधिकरी के निर्णय से क्षुब्ध होंगे वे प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष शिकायत करेंगे।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 5(छ) नियमों से हटा देना चाहिए तथा सूचना के आवेदनों को सहज एंव सकारात्मक तरीके से कार्यवाहित करने के लिये सभी लोक सूचना अधिकारीयों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश

जारी किये जाने चाहिए।

4.5 नियम संख्यां 5(छ) के अनुसार यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदक के से मांगी गयी सूचना के संबंध में संवाद कायम करता है तो 30 दिनों की समय सीमा तब तक रूकी रहेगी जब तक कि लोक सूचना अधिकारी मांगी गयी सूचना के संबंध में निश्चित न हो जाए। ये नियम सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत है। मूल अधिनियम के अनुसार 30 दिनों की गणना केवल अतिरिक्त शुल्क के अदायगी के लिये ही रूक सकती है। मूल अधिनियम की धारा 7(3) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क के अदायगी के लिये सूचना पत्र दिये जाने से अतिरिक्त शुल्क के अदायगी के अदायगी तक के समय में 30 दिनों की समय सीमा की गणना नहीं की जायेगी। 30 दिनों कि समय सीमा केवल तीसरे पक्ष से मांगी गयी संबंधित सूचना की दशा में ही 10 दिनों के लिए बढाइ जा सकती है। मूल अधिनियम में 30 दिनों की समय सीमा बढाने का और कोइ प्रावधान नहीं है। नियम बनाने के अधिकारों का उपयोग करके मूल अधिनियम में नये अपवाद नहीं बनाए जा सकते।

4.6 लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य है की 30 दिनों की समय सीमा में ही वो आवेदक से संपर्क करके मांगी गयी सूचना के संबंध में निश्चित हो जाए। यदि आवेदक अगम्य है अथवा युक्तियुक्त प्रयासों के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी आवेदक से संपर्क करने में असफ़ल रहते हैं तो ही मांगी गयी सूचना पर हुयी देरी को युक्तियुक्त माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हुयी देरी के लिये लोक सूचना अधिकारी जिम्मेवार नहीं होंगे और उन्हें अर्थदंड के लिए भी जिम्मेवार नहीं माना जाएगा। यदि इस नियम को लागू कर दिया गया तो लोक सूचना अधिकारी इस नियम के आधार पर आवेदक से स्पष्टीकरण मांगने में समय नष्ट करेंगें और आवेदक को सूचना प्राप्त करने में अनावश्यक देरी होगी ऐसी परिस्थिति में आवेदक सूचना के अधिकार अधिनयम के अन्तर्गत अपील प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी स्थिति अनावश्यक विवादों को जन्म देगी एंव उत्तराखंड सूचना आयोग के लिए भी नये मामलों में बढोतरी होगी।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 5(छ) नियमों से हटा देना चाहिए तथा सूचना के लिये आवेदनों को निश्चित समय सीमा में निष्पादित करने हेतू लोक सूचना अधिकारीयों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाने चाहिए।

4.7 नियम संख्यां 7(ज) में सूचना के आवेदनों को निरस्त करने संबंधी तरीके बताये गये हैं। यह स्वागत योग्य है की इस नियम में मूल अधिनियम की धारा 7(8) से अलग कुछ भी नहीं है।सक्षम प्राधिकारीयों को नियम बनाने के अधिकार, मूल अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतू दिये गये हैं। प्रायः सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारीयों को विस्तृत लिखित आदेश देने का आदेश दिया है। प्रायः ऐसा देखा गया है की लोक सूचना अधिकारी धारा 8, 9, 11, एंव 24 के आधार पर, विस्तृत अदेश दिये बिना हुए आवेद्न निरस्त कर देते हैं। ये परंपरा जो की मूल अधिनियम के विपरीत है, को रोका जा सकता है यदि नियमों के माध्यम से लोक सूचना अधिकारीयों को बतलाया जाए की सूचना के आवेदनों को प्रकटन से होने वाले प्राभावों के पक्ष- विपक्ष को समझने के बाद ही सूचना के आवेदनों को निरस्त किया जाए। नियम बनाने के अधिकारों सही प्रकार से प्रयोग के अवसर का सही इस्तेमाल उत्तराखंड सरकार ने नहीं किया है। लोक सूचना अधिकारीयों को एंव प्रथम अपील अधिकारीयों को उत्तराखंड सरकार विस्तृत अदेश देने के लिये प्रशिक्षण देने हेतू त्रुटिहीन ट्रैक रिकार्ड वाले किसी सेवानिवृत न्यानाधीश की सेवा ले सकती है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 5(ज) को संशोधित कर लोक सूचना अधिकारीयों एंव प्रथम अपील अधिकारीयों के लिए ये आवश्यक किया जाना चाहिए की वे सूचना के आवेदनों पर सूचना न देने की परिस्थिति में विस्तृत लिखित आदेश देने की प्रक्रिया का पालन करें। लोक सूचना अधिकारीयों को एंव प्रथम अपील अधिकारीयों को उत्तराखंड सरकार विस्तृत अदेश देने के लिये प्रशिक्षण देने हेतू त्रुटिहीन ट्रैक रिकार्ड वाले किसी सेवानिवृत न्यानाधीश की सेवा ले सकती है। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने हेतू निर्देशित किया जाना चाहिए।

4.8 नियम संख्यां 5(झ) के अनुसार आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना आवेदित 'प्रारूप' में उपलब्ध करायी जायेगी एंव उपलब्ध कराये जाने में लोक प्राधिकरण के संसाधनों एंव अभिलेख की सुरक्षा का उचित ध्यान रखा जाएगा। वस्तुतः मूल अधिनियम की धारा 7(9) से शब्द्शः मिलती है। मूल अधिनियम के प्रावधानों के दुहराव से नियमों किसी प्राकार का मूल्य वर्धन नहीं होगा, वस्तुतः इस नियम में बतलाया जाना चाहिए की धारा 7(9) के आधार पर आवेदनों को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। ये नियम सकारात्मक तरीके से लिखे गये हैं अतः जिस रूप में सूचना मांगी गयी है उसमें यदि सूचना मौजूद न हो तो सूचना प्राप्त करने हेतू नीरीक्षण करने या इलैकट्रानिक माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रायः यह देखा गया है की धारा 7(9) के आधार पर

लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदनों को निरस्त कर देते हैं जो कि गलत है क्योंकि मूल अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार केवल धारा 8(1) एंव 9 के आधार पर ही सूचना के लिए आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 5(झ) को संशोधित कर व्यवस्था की जानी चाहिए की जिस रूप में सूचना मांगी गयी सूचना, आवेदक को स्वीकार हो हो उसी प्रकार में लोक सूचना अधिकारी आवेदकों को प्रदान करें एंव सुनिश्चित किया जाना चाहिए की धारा 7(9) के आधार पर आवेदन निरस्त न किये जायें।

5. सूचना हेतू शुल्क से संबंधित समस्यात्मक नियमावली

5.1 नियम संख्यां 6(क) के अनुसार सूचना आवेदन हेतू शुल्क लोक सूचना अधिकारी के वित्त/ लेखा अधिकारी के नाम देय होगा।, आम जनों के बीच इस बात की कोइ जानकारी नहीं है। उपरोक्त में से लोक प्राधिकरण के किस अधिकारी के नाम शुल्क देय होगा । ऐसे कारणों से सूचना के आवेदनों पर निर्णय लेने हेतू जरूरी प्रक्रिया अपनाने में समय नष्ट होता है। प्रायः लोक सूचना अधिकारी शुल्क अदायगी में सही खातेधारी का नाम नहीं होने से सूचना के आवेदन पत्रों को वापस कर देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क अदायगी के माध्यम को व्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है जो की आम अनागरिकों के लिये सुविधाजनक हो और आसानी से समझ के योग्य हो। इन चीजों का व्यवस्थित होना नियमों की योग्यता की कसौटी होती है। उत्तराखंड सरकार को सूचना के आवेदनों के लिये शुल्क अदायगी के माध्यम को सरल बनाना चाहिए और किसी एक अधिकारी के नाम पर शुल्क अदायगी की व्यवस्थित की जानी चाहिए। डाक-खानों में भी सूचना के आवेदनों के लिये शुल्क अदायगी की सुविधा की जानी चाहिए ताकि वो शुल्क को एकत्रित कर संबंधित लोक प्राधिकरण को भेज सकें। इस के लिये उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार के डाक विभाग से विचार कर एक समुचित व्यवस्था बनानी होगी। यदि उत्तराखंड सरकार डाक विभाग को सूचना के आवेदनों पर प्राप्त होने वाले शुल्क में से कुछ कमीशन डाक विभाग को देने पर राजी हो तो इस बात की पूरी संभावना होगी की डाक विभाग सूचना के आवेदन हेतू शुल्क जमा लेने पर राजी हो जाएं। ऐसी व्यवस्था डाक विभाग के लिये भी फ़ायदेमंद होगी और आमजनों के बीच लोकप्रिय भी साबित होगी। यदि दो अधिकारीयों के नाम से शुल्क अदायगी की व्यवस्था को लागू किया जायेगा तो शुल्क वापस किये जाने की परिस्थिति में ये विवादों का कारण बन सकती है यदि आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती देने का

निश्चय करेंगे तो प्रथम अपील अधिकारी एंव सूचना आयोग के समक्ष अपील मामलों में बढोतरी होगी।

5.2 नियम संख्यां 6(क) के परन्तुक में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर गैरजरूरी भार डाला गया है। इसमें बतलाया गया है की गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सूचना के लिये आवेदनों के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के परिपेक्ष्य में ये एक गैरजरूरी व्यवस्था है। गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किये जाते हैं न कि गरीबी रेखा से नीचे के नागरिक खुद से बनाते हैं। प्रायः सभी मामलों में सरकारी सेवक गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र को जारी करने में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अतः गरीबी रेखा से नीचे के लोगों होने का प्रमाण पत्र को प्रमाणित का भार नागरिकों के उपर नहीं डाला जाना चाहिए। नागरिकों के लिये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। प्रायः बिचौलिए एंव सरकारी अधिकारी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों होने का प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए पैसे लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों होने का प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक बनाये जाने से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर अतिरिक्त भार पडेगा। नये नियम के लागू होने से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिये सूचना का अधिकार का मूल अधिकार का इस्तेमाल करना कठिन होगा एंव गरीबी रेखा से नीचे के लोग अनावश्यक भ्रष्टाचार का शिकार हो सकते हैं। ये नियम पूरी तरह से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के विरूद्ध है।

5.3 वस्तुतः सूचना के आवेदन के साथ गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि लोक सूचना अधिकारी को प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह हो तो वो संबंधित अधिकारी या विभाग से गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र की सत्यता को 30 दिनों की समय सीमा में सत्यापित करवा सकता है।

5.4 नये नियमों में बतलाया गया है की वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 12,000/- रूपये से कम होगी वो गरीबी रेखा से नीचे माने जायेंगे। इस प्रावधान पर को विस्तृत चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा से नीचे होने की सीमा को तय करना एक राजनैतिक निर्णय है जिसके लिये कोइ भी ठोस वजह नहीं बतलायी गयी है। गरीबी रेखा से नीचे होने की सीमा को तय किया जाना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका प्रभाव राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार के द्वारा

चलाये जाने वाले विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर भी पडेगा। गरीबी रेखा से नीचे होने की सीमा को तय किये जाने में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकी कोइ भी संभावित नागरिक इस लाभ से वंचित न रह जाए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

- **नियम संख्यां 6(क) को संशोधित कर प्रत्येक लोक प्राधिकरण में सूचना के आवादेन को स्वीकार करने हेतू शुल्क लेने के लिए किसी एक अधिकारी को नामित किये जाने कि व्यवस्था कि जानी चाहिए।**
- **नियम संख्यां 6(क) के नीचे दिये गये परन्तुक को संशोधित कर गरीबी रेखा से नीचे के लिये सूचना के आवादेन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों होने का प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य किये जाने को हटा दिया जाना चाहिए।**

5.5 नये नियमों की नियम संख्यां 6(ख) में बतलाया गाया है की अतिरिक्त शुल्क लोक प्राधिकरण के वित्त अथवा लेखा अधिकारी के नाम पर जमा किये जा सकेंगे। उपरोक्त में बतलाये गये विश्लेषण के आधार पर इस नियम को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इस नियम को संशोधित कर लोक प्राधिकरण के किसी एक अधिकारी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 6(ख) को संशोधित कर प्रत्येक लोक प्राधिकरण में सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्वीकार करने हेतू शुल्क लेने के लिए किसी एक अधिकारी को नामित किये जाने कि व्यवस्था कि जानी चाहिए।

5.6 नये नियमों की नियम संख्यां 6(ख) में बतलाया गाया है की अतिरिक्त शुल्क लोक प्राधिकरण के वित्त अथवा लेखा अधिकारी के नाम पर जमा किये जा सकेंगे। उपरोक्त में बतलाये गये विश्लेषण के आधार पर इस निय्म को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इस नियम को संशोधित कर लोक प्राधिकरण के किसी एक अधिकारी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

नये नियमों की नियम संख्यां 6(ख) (दो) के अनुसार सूचना के नीरीक्षण के लिये प्रथम घंटे के लिये कोइ भी शुल्क नहीं लिया जायेगा एंव प्रथम घंटे के पश्चात प्रत्येक 15 मिनट के लिये 5 रुपये

देय होंगे। केन्द्र सरकार के द्वारा सूचना के नीरीक्षण के लिये निर्धारित किये गये न्यूनतम दर--प्रथम घंटे के पश्चात 5 रुपये प्रति घंटे--से ज्यादा है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार से ज्यादा दर को लागू किये जाने की कोइ ठोस वजह नहीं है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः
नियम संख्यां 6(ख) (दो) को संशोधित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के नीरीक्षण के लिये प्रथम घंटा निःशुल्क किया जाना चाहिए एंव प्रथम घंटे के पश्चात 5 रुपये प्रति घंटे के दर से तय किया जाना चाहिए।

5.7 नियम संख्यां 6(ग)(एक) में अतिरिक्त सूचना दिये जाने के माध्यमों में फ़्लॅपी एंव डिस्केट का जिक्र है। व्यवहरिक रूप में फ़्लॅपी का स्थान पर पेन ड्राइव प्रचलन में हैं अतः व्यवहरिकता की मांग के अनुसार नियम संख्यां 6(ग)(एक) कि संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। नये तकनीक वाले कम्प्यूटरों में एंव डिस्केट के उपयोग की सुविधा नहीं होती है वरन डिजिट्ल विडियो डिस्क, यूसबी पेन ड्राइव आदि इस्तेमाल किये जाते हैं। नये गैजट्स के माध्यम से सूचना दिये जाने में अतिरिक्त शुल्क का लिया जा सकता है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः
नियम संख्यां 6(ग) (एक) में अतिरिक्त सूचना दिये जाने के माध्यमों में फ़्लॅपी के स्थान पर डिजिट्ल विडियो डिस्क, यूसबी पेन ड्राइव प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

6. सूचना हेतू शुल्क से संबंधित नियमावली गरीब विरोधी हैं

6.1 नियम संख्यां 6(घ) (3) के सन्दर्भ में यह बतलाया गया है की यदि सूचना 50 पृष्ठों से अधिक है या उसमें रूपये 100 से अधिक का खर्च आता है तो गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों कों सामान्य दरों पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा देना होगा। इस नियम का उद्देश्य छूट की सुविधा का दुरूपयोग रोकने का हो सकता है परन्तु कोइ भी नियम जो मूल अधिनियम के विपरीत प्रयोग किया जा सकता है, नही बनाये जाने चाहिए। मूल अधिनियम की धारा 7(5) के परन्तुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है की गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

संसद की मंशा गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों को मुफ़्त में सूचना देने की थी तो नियमों के माध्यम से इस उद्देश्य का हनन नहीं किया जाना चाहिए। 50 पृष्ठों से ज्यादा की सूचना मांगे जाने की स्थिति में सूचना के लिए शुल्क लगाये जाने के बजाय गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों को नीरीक्षण करके सूचना को खुद के कागज पर नोट करने की सुविधा दी जानी चाहिए।
ऐसी सुविधा लोक प्राधिकरण के संसाधनों एंव गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों के मूल अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करेंगें।

6.2 नियम संख्यां 6(घ) (2) के अनुसार किसी भी लोक प्राधिकरण से गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों के लिये एक माह में 50 छाया पृष्ठों से अधिक की सूचना निःशूल्क नहीं दी जाएगी। नियम संख्यां 6(घ) (2) युक्तियुक्त नहीं है एंव गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों के मूल अधिकार के विपरीत हैं। यदि इस नियम को लागू किया गया तो प्रत्येक महीने बहुत बडी संख्यां में गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्क सूचना प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगें।
यदि इस नियम को लागू किया गया तो प्रत्येक महीने 50 छाया पृष्ठों से अधिक की सूचना को आम आवेदनों की तरह देखा जायेगा और लोक सूचना पदाधिकारी से शुल्क की मांग करेंगें। ये परंतुक सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत हैं क्योंकि मूल अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों के द्वारा सूचना के आवेदनों की संख्यां पर कोइ प्रतिबंध नहीं है। मूल अधिनियम में गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों के लिये निःशूल्क सूचना दिये जाने पर कोइ भी प्रतिबंध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिये गये मूल अधिकार की रक्षा करते हैं। यदि इस नियम को लागू किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।

6.3 नियम संख्यां 6(घ) (3) के सन्दर्भ में यह बतलाया गया है की यदि सूचना 50 छाया पृष्ठों से अधिक है या उसमें रूपये 100 से अधिक का खर्च आता है तो गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों कों सामान्य दरों पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा देना होगा। नियम संख्यां 6(घ) (3) गरीबी रेखा नीचे के आवेद्कों कों सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क देने की छूट से विपरीत है। नियमों के माध्यम से इस अधिकार को वापस नहीं लिया जा सकता है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

- **नियम संख्यां 6(घ) (2) को संशोधित कर गरीबी रेखा से नीचे के आवेद्कों कों 50 पन्ने से ज्यादा की सूचना खुद के कागज पर नोट करने की सुविधा दी जानी चाहिए।**
- **नियम संख्यां 6(घ) (2) के परन्तुक के अंतिम वाक्य को हटा देना चाहिए।**

7. राज्य लोक सूचना अधिकारी के कर्त्तव्य से संबंधित नियमावली

7.1 नियम संख्यां 7(ख) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को प्रत्येक आवेदन पर 30 दिनों में निर्णय लेना होगा एंव यदि मांगी गयी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी दूसरे विभाग से संबंधित हो तो मूल अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को सथानांतरण कर देगा। वस्तुतः नियम संख्यां 7(ख) मूल अधिनियम की धारा 7(1) एंव 6(3) के परिपेक्ष्य में अनावश्यक हैं अतः नियम संख्यां 7(क) और (ख) को नये नियमों से हटा देना चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 7(ख) को नये नियमों से हटा देना चाहिए।

7.2 नियम संख्यां 7(घ) में बतलाया गया है की द्वितीय अपील की कार्यवाही के दौरान तीसरे पक्ष से आपत्ति मांगने की तिथि से 10 दिनों के भीतर अनापत्ति प्राप्त न होने की दशा में लोक सूचना अधिकारी सूचना देने पर विचार कर सकेंगे। ये नियम तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना के आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया बतलाने में संपूर्ण नहीं हैं। मूल अधिनियम की धारा 11(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य है की वो आवेदन प्राप्त होने पर पांच दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को एक नोटिस जारी करे। अतः 10 दिनों के पश्चात भी लोक सूचना अधिकारी के पास नोटिस जारी करने के बाद स्मरण पत्र प्राप्त क राने हेतू 25 दिन बचे होंगे। नये नियमों में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दूसरा स्मरण पत्र भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि डाक संबंधि विलंब की स्थिति से निपटा जा सके।

नियम संख्यां 7(घ) को संशोधित कर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा तीसरे पक्ष के हितों की रक्षा के लिये 10 दिनों के पश्चात स्मरण पत्र भेजने की व्यवस्था कि जानी चाहिए।

7.3 नियम संख्यां 7 (ङ) में बतलाया गया है की लोक सूचना अधिकारी मूल अधिनियम की धारा 8 से संबंधित सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराएंगे। उक्त नियम संख्यां 7(ङ) में मूल अधिनियम की

धारा 8 की सभी धाराओं की महत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। मूल अधिनियम की धारा 8(1) में बतलाया गया है की यदि (a) से (j) में बतलायी गयी परिस्थितियां हों तो लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिये बाध्य नहीं होगा। अर्थात मूल अधिनियम की धारा 8(1) की परिस्थितियों में आवेदक साधिकार सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। मूल अधिनियम की धारा 8(1) की कठोर व्याख्या नहीं की कि जानी चाहिए। मूल अधिनियम की धारा 8(d), (e) एंव (j) में यह व्यवस्था की गयी है की व्यापक सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान किये जाने का निर्देश प्रदान कर सकता है। नये नियमों में मूल अधिनियम की धारा 8(2) की भी अनदेखी की गयी है जिनमें बतलाया गया है की व्यापक सार्वजनिक हित के आधार पर उपधारा एक के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी यदि सूचना का दिया जाना संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक लोक हित में है तो लोक प्राधिकारी सूचना के प्रकट्न के आदेश दे सकता है। मूल अधिनियम की धारा 8(1) (j) में लोक सूचना अधिकारी एंव (d), (e) सक्षम प्राधिकारी की व्यापक सार्वजनिक हित के आधार सूचना प्रदान किये जाने का निर्देश प्रदान कर सकता है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 7 (ङ) के विपरीत है। नियम संख्यां 7 (ङ) मूल अधिनियम की धारा 8(1), (2) (3) के परिपेक्ष्य में सूचना देने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

7.4 नियम संख्यां 7 (छ) के यदि मांगी गयी सूचना व्यापक सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है प्रथम अपील अधिकारी सूचना देने से मना कर सकते हैं। नियम संख्यां 7 (छ), मूल अधिनियम की धारा 8(1) (ज) का दुहराव है अतः नियम संख्यां 7 (छ) को हटा देना चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

संख्यां 7 (छ) को हटा देना चाहिए।

7.5 नियम संख्यां 7 (छ) अनुसार लोक सूचना अधिकारी सिर्फ़ वो सूचना ही प्रदान करसकते हैं जो मूल अधिनियम में छूट से बाहर हो। इस नियम के आधार पर लोक सूचना अधिकारी छूट से बाहर की सूचना पर नीरीक्षण और छाया प्रति देने का आदेश भी नहीं दे सकते हैं। 7.3 में किये गये विश्लेषण के आधार पर ये नियम अनावश्यक हैं। धारा 8 में दी गयी छूट अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। धारा 8(d), (e), (j) एंव 8(2) में बतलाये गये व्यापक सार्वजनिक हित में सक्षम प्राधिकारी

सूचना प्रदान किये जाने का निर्देश प्रदान कर सकता है। नियम संख्यां 7 (छ) इस बात को परिलक्षित नहीं करते हैं अतः लोक सूचना अधिकारी को गुमराह कर सकते हैं।

बदलाव के लिये अनुशंसाः
संख्यां 7 (छ) को हटा देना चाहिए।

8. प्रथम अपील से संबंधित समस्यात्मक नियमावली

8.1 नियम संख्यां 8(क) में बतलाया गया है की प्रथम अपील में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए एंव यह लिखा जाना की अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है पर्याप्त नहीं होगा तथा अपील कर्ता से लिखित पक्ष प्राप्त किये जा सकेंगे।

यद्यपि प्रथम अपील में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए, परन्तु अपील कर्ता से वकीलों की तरह प्रथम अपिल को ड्राफ़्ट करने की अपेक्षा करना युक्तियुक्त नहीं है। नियमों का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपीलकर्ता के लिय जटिल नहीं बनाना चाहिए। ये नियम प्रथम अपील अधीकारी के लिये अपील की योग्यता को परखे बिना अपील को निरस्त करने का एक अधिकार दे सकतें हैं । सभी अपील को संवेदनशील तरीके से निपटाये जाने की आवश्यकता होती है। यदि प्रथम अपिल में कही गयी कोइ बात प्रथम अपील अधिकारी के समझ से परे हो तो वो अपीलकर्ता से संम्पर्क कर सकतें हैं।

बदलाव के लिये अनुशंसाः
नियम संख्यां 8(क) को बदलाव कर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि प्रथम अपील में कही गयी कोइ बात प्रथम अपील अधिकारी के समझ से परे हो तो वो अपीलकर्ता से संम्पर्क कर सकतें हैं। साथ ही यह भी लिखा जाना चाहिए की तकनीकी आधार पर अपील को निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

8.2 नियम संख्यां 8 (ख) के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी अपीलकर्ता को प्रथम अपील में मौजूद रहने को का आदेश दे सकता है अथवा अपनी दलील लिखित रूप में दे सकता है। ऐसी व्यवस्था प्रथम अपील की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बनाती है। मूल अधिनियम में प्रथम अपील अधिकारी को अपीलकर्ता को प्रथम अपील में मौजूद रहने को का आदेश देने का अधिकार नहीं दिया गया है। वस्तुतः यह अपीलकर्ता पर निर्भर करता है की वो प्रथम अपील में मौजूद रहना

चाहता है अथवा नहीं। अपीलकर्ता की सभी शिकायतें अपील पत्र में दर्ज होती है जिसके कारण अपील की पक्रिया प्रारंभ होती है। अतः जब तक की प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिये गये जबाब पर अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया नहीं चाहता हो, अपीलकर्ता को प्रथम अपील में मौजूद रहने को का आदेश देने का कोइ औचित्य नहीं है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 8 (ख) को संशोधित कर अपीलकर्ता के लिये प्रथम अपील में मौजूद रहने की आवश्यकता को वैक्लपिक कर देना चाहिए।

8.3 नियम संख्यां 8 (ग) में प्रथम अपील के निपटारे हेतू कोइ भी समय सीमा नहीं दी गयी है। मूल अधिनियम की धारा 19(6) में बतलाया गया है की 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील का निपटारा किया जाना चाहिए एंव विशेष परिस्थियों में यह समय सीमा 15 दिनों के लिए बढाइ जा सकती है। प्रायः इस नियम को प्रथम अपील अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं एंव प्रथम अपील का निपटारा 45 दिनों में ही किया जाता है। सरकार का यह कर्त्तव्य है की 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील के निपटारे हेतू प्रथम अपील अधिकारी के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 8 (ग) को संशोधित कर प्रथम अपील अधिकारी के लिये 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील के निपटारे हेतू आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिए। यदि प्रथम अपील अधिकारी 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील का निपटारा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें विस्तृत रूप से ऐसा नहीं करने की वजह बतानी होगी।

8.4 नियम संख्यां 8(घ) के अनुसार यदि मांगी गयी सूचना छूट के दायरे में नहीं आती हो तो प्रथम अपील अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने के लिये निर्देश दे सकतें हैं। परन्तु इस नियम में सूचना देने के कोइ समय सीमा नहीं बतलायी गयी है। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश पर सूचना देने के लिये, सूचना एकत्रित किये जाने में, उसकी छाया प्रति लेने में लगने वाली समय सीमा, सूचना को भेजने में लगने वाली समय सीमा आदि को ध्यान में रख कर सूचना देने के लिये एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

ऐसा नहीं करने से लोक सूचना अधिकारी अनावश्यत रूप से सूचना देने में समय लेंगे और ये अनावश्यक रुप से विवाद का कारण बन सकता है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 8(घ) को संशोधित कर प्रथम अपील अधिकारी के निर्देश पर सुचना एकत्रित किये जाने में, उसकी छाया प्रति लेने में लगने वाली समय सीमा, सूचना को भेजने में लगने वाली समय सीमा आदि को ध्यान में रखकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने के लिये समय सीमा तय की जानी चाहिए।

8.5 नियम संख्यां 8(ङ) में बतलाया गया है की सूचना के नीरीक्षण एंव छाया प्रति देने हेतू प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दे सकता है। ये नियम स्वागत योग्य हैं परन्तु उन परिस्थतियों पर कोइ प्रकाश नहीं डालते जब लोक सूचना अधिकारी के सूचना देने में शिथिलता के कारण अपील दायर किया गया हो। मूल अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी जाये तो आवेदक बिन किसी शुल्क के सूचना प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं प्रदान करते तो इस सिद्धांत को अपील के स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए । इन परिस्थितियों में प्रथम अपील अधिकारी सूचना देने के लिये कोइ शुल्क नहीं लेंगे।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 8(ङ) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी के सूचना देने के आदेश को मूल अधिनियम की धारा 7(6) के परिपेक्ष्य में बनाया जाना चाहिए।

8.6 नियम संख्यां 8(छ) में मूल अधिनियम की धारा 8(1) के तहत सूचना देने के छूट को साक्षेप छूट माना गया है। नियम संख्यां 8(छ) में 'निशिद्ध' शब्द क प्रयोग किया गया है जिससे उपरोक्त भावना इंगित होती है। 7.3 में बतलाये गये विश्लेषण आधार पर यह कहा जा सकता है की मूल अधिनियम की धारा 8(1) में बतलायी गयी छूट अपने आप में संपूर्ण नहीं है। नियम संख्यां 8(छ) को संशोधित कर उपरोक्त व्याख्या से बचाये जाने की आवश्यकता है।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 8(छ) को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि मूल अधिनियम की धारा 8(1) के तहत

सूचना देने के छूट को संपूर्ण नहीं समझा जाए।

8.7 नियम संख्यां 8(झ) में बतलाया गया है की यदि मांगी गयी सूचना मूल अधिनियम के अन्तर्गत छूट के दायरे में आती हो अथवा 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आती हो तो प्रथम अपील अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं । 2.1 में बतलाये गये विश्लेषण के आधार पर इस नियम को हटा देना चाहिए।

नियम संख्यां 8(झ) को हटा देना चाहिए।

9. राज्य सूचना आयोग कार्यप्रणाली से संबंधित समस्यात्मक नियम

9.1 नये नियमों में नियम संख्यां 9(ख) (4) में द्वितीय अपील के दौरान राज्य सूचना आयोग का जांच करने का अधिकार वापस ले लिया गया है। ये नियम राज्य सूचना आयोग की अपील से संबंधित नियमावली, 2005 की नियम संख्यां 5 के विरूद्ध है। ऐसे नियम राज्य सूचना आयोग को शक्तिहीन कर सकतें हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3) के तहत राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील के निपटारे के दौरान सिविल कोर्ट के समान अधिकार नहीं हैं। अतः वर्तमान नियमों में राज्य सूचना द्वितीय अपील में आयोग सरकारी अधिकारीयों को सरकारी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजने के अधिकार, शपथ पर साक्ष्य लेने के अधिकार, गवाहों को उपस्थित होने के निर्देश देने के अधिकार आदि दिये गये हैं। नये नियमों के माध्यम से उपरोक्त अधिकार वापस लेने से राज्य सूचना आयोग एक शक्तिहीन संस्था बन कर रह जाएगी। ये नियम मूल अधिनियम के विपरीत है क्योंकि सूचना से संबंधित विवदों के निपटारे हेतू राज्य सूचना आयोग एकमात्र विशेषज्ञ संस्था है एंव मूल अधिनियम की धारा 27 में सूचना से संबंधित विवदों के निपटारे हेतू सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की सीमा स बाहर रखे गये हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी मूल अधिनियम के विपरीत काम करते हैं तो नागरिकों के लिए राज्य सूचना आयोग ही एकमात्र संस्था होती हैं जहां वे शिकायत के निवारन के लिये जा सकते हैं। सूचना का अधिकार आधिनियम के अन्तर्गत एक सर्वोच्च अपीलीय संस्था होने के कारण तथा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एंव अर्ध-न्यानायिक ट्रिब्यूनल से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है की राज्य सूचना आयोग को वे सारे अधिकार उपलब्ध हैं जो की प्रथम अपील अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी को दिये गये

हैं। यदि इन नियमों के विरूद्ध अपील किया जाये तो यह अपेक्षित है की उच्च न्यायालय इन नियमों को खारिज कर देंगें। नये नियम को वर्तमान के नियम संख्यां 5 से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 9(ख) (4) को संख्यां 5 से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए।

9.2 नियम संख्यां 9(ख)(छ) के अनुसार राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील की कार्यवाही में प्रथम अपील अधिकारी एंव लोक सूचना अधिकारी को उपस्थित रहने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। नियम संख्यां 9(ख)(छ) मूल अधिनियम की धारा 19(5) के विरूद्ध है। धारा 19(5) में बतलाया गया है की सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किये जाने को सही साबित करने की जिम्मेवारी, अस्वीकार करने वाले अधिकारी की होती है। इनकार किये जाने को सही साबित करने की जिम्मेवारी लोक प्राधिकरण के प्रथम अपील अधिकारी के उपर होती है। चूंकि राज्य सूचना आयोग, लोक प्राधिकरण से अलग संस्था होती है अतः द्वितीय अपील में सारे पक्षों के तर्कों की सत्यता राज्य सूचना आयोग नहीं जांच सकता यदि उन तर्को को बनाने वाले राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित न हों। सारे पक्षों के तर्कों की सत्यता की जांच हेतू राज्य सूचना आयोग संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने का बुलावा भेज सकता है। नये नियम मूल अधिनियम में अपील के निपटारे हेतू बतलाये गये विधि के विपरीत हैं। मूल अधिनियम की धारा 27 में नियम बनाने के जो अधिकार दिये गये हैं वो वस्तुतः मूल अधिनियम को सही तरीके से लागू करने के लिये हैं न कि उन्हें कुंद करने के लिये। यदि इन नियमों को लागू कर दिया गया तो ये लोक सूचना अधिकारियों एंव प्रथम अपील अधिकारी के लिये राज्य सूचना आयोग के उपस्थित रहने के निर्देश को दरकिनार करेंगे। मूल अधिकारों को संरक्षित करने के कार्यवाही में ऐसी उपस्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 9(ख) (छ) को नियमों से हटा देना चाहिए।

9.3 नये नियमों की नियम संख्यां 9(7)(छ) के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत जुर्माने से संबंधित कार्यवाही एंव द्वितीय अपील की कार्यवाही अलग-2 प्रक्रिया है। ये नियम मूल अधिनियम की धाराओं के विपरीत है क्योंकि राज्य सूचना आयोग मूल अधिनियम

की धारा 19 के अन्तर्गत द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी के उपर जुर्माना लगा सकतें हैं। वस्तुतः धारा 20 में जुर्माना लगाये जाने के आधार बतलाये गये हैं। अतः जुर्माने से संबंधित कार्यवाही को द्वितीय अपील की कार्यवाही जहां अपीलकर्ता का उपस्थित रहना आवश्यक है, से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अपीलकर्ता का यह अधिकार है की वो द्वितीय अपील की कार्यवाही में उपस्थित रहना चाहता है या नहीं। नियमों में यह स्पष्ट करते हुए अपीलकर्ता को यह अधिकार दिया जाए की जुर्माने से संबंधित कार्यवाही में उपस्थित होकर अपने तर्कों को रख सके।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 9(7)(छ) को संशोधित कर राज्य सूचना आयोग की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए ताकि अपीलकर्ता को यह अधिकार दिया जाए की वो द्वितीय अपील की कार्यवाही में उपस्थित रहना चाहता है या नहीं। यदि अपीलकर्ता द्वितीय अपील की कार्यवाही में उपस्थित रहना चाहता है तो वो द्वितीय अपील की कार्यवाही में उपस्थित होकर अपने तर्कों को रख सकेगा।

9.4 नये नियमों की नियम संख्यां 9(घ) के उपनियम एक में तीसरे पक्ष से संबंधित कार्यवाही के विषय में बतलाया गया है परन्तु ये नियम केवल द्वितीय अपील पर ही लागू होते हैं। नियम संख्यां 9(घ) (एक) को प्रथम अपील के स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 8 में, प्रथम अपील अधिकारी के मार्गदर्शन के लिये तीसरे पक्ष से संबंधित कार्यवाही के विषय में नये नियमों की नियम संख्यां 9(घ) के उपनियम एक के जैसे प्रावधान किये जाने चाहिए।

9.5 राज्य सूचना आयोग की अपील की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिये सूचित करने हेतू विभिन्न तरीके बतलाये गये हैं।

उपनियम संख्यां 3 में बतलाया गया है की उक्त उद्देश्य हेतू सूचना 'साधारण डाक' के माध्यम से दी जा सकती है। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उक्त सूचना दिया जाना उचित होगा।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 9 (घ) के उपनियम संख्यां 3 में 'साधारण डाक' को 'रजिस्टर्ड डाक' से

प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

9.6 नियम संख्यां 9 (ख) के अनुसार अपीलकर्ता एंव लोक प्राधिकरण अपने मामले की पैरवी वकील की सहायता से कर सकतें हैं। राज्य सूचना आयोग की कार्यवाही में वकीलों के द्वारा पैरवी करने से नहीं रोका जा सकता परन्तु अपीलकर्ता एंव लोक प्राधिकरणों को वकील की सहायता से पैरवी की इजाजत देने से अवांछनीय खर्च का भार पडेगा। मूल अधिनियम में संसद ने अपील प्रावधानों को बहुत सरल और आसान बनाया है। अतः मूल अधिनियम में अपील प्रावधानों को बहुत सरल बनाते हुये भारतीय दंड विधान की धारा 193 के परिपेक्ष्य में न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा से बाहर रखा है।

अतः राज्य सूचना आयोग को अपील की कार्यवाही में वकीलों की सहायता की इजाजत उन मामलों में देनी चाहिए जिनमें विधि से संबंधित कोइ जटिल प्रश्न हो। ऐसा नहीं करने से अपील की कार्यवाही नागरिकों के अनूकूल नहीं रह जायेगी। पुराने नियम की नियम संख्यां 7(4) को बनाए रखा जाना चाहिए।

9.7 नये नियम के नियम संख्यां 9(ङ्) की उपधारा दो में राज्य सूचना आयोग के निर्णय की सूचना आमजन तक देने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। राज्य सूचना आयोग के सभी निर्णय पारदर्शिता से संबंधित होते हैं अतः सभी निर्णय सार्वजनिक होने चाहिए। सभी निर्णय राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट पर एक डेटा बेस के रूय में की-वर्ड सर्च सुविधा के साथ उपलब्ध होने चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

- **नये नियम के नियम संख्यां 9(ङ्) को पुराने नियम संख्यां 7(4) से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।**
- **नये नियम के नियम संख्यां 9(ङ्) की उपधारा दो में बदलाव लाया जाना चाहिए ताकि राज्य सूचना आयोग के सभी निर्णय राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट पर एक डेटा बेस के रूय में की-वर्ड सर्च सुविधा के साथ उपलब्ध हों।**

9.8 नियम संख्यां 11 (क) नियम संख्यां 11 (क) के अनुसार अपीलकर्ता राज्य सूचना आयोग के द्वारा द्वितीय अपील में दिये गये निर्णय के अनुपालन हेतू सूचना के अधिकार कानून की धारा 18 के तहत अपील नहीं कर सकता है।

यदि इस नियम को लागू कर दिया जाये तो लोक प्राधिकरण के लिए राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवज्ञा करना आसान हो जाएगा और राज्य सूचना आयोग के आदेशों के अनुपालन हेतू अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय में जाना होगा। ये नियम *जी. बसावनराजू बनाम अरूनधति एंव अन्य* (अवमानना मामला संख्यां 525/2008, निर्णय की तारीख 27/01/2009) में कर्नाटका उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय के विरूद्ध होगाः

> *"10. ... The powers of the Commission to entertain and decide the complaints, necessarily shows that, the Commission has the necessary power to adjudicate the grievances and decide the matters brought before it, in terms of the provisions contained in the RTI Act. The legislative will, incorporating Section 20 in the RTI Act, conferring power on the Commission to impose the penalties, by necessary implication is to enable the Commission to do everything which is indispensable for the purpose of carrying out the purposes in view contemplated under the Act. In our considered view, provisions of Section 20 can be exercised by the Commission also to enforce its order. The underlying object in empowering the Commission to impose the penalty and/or to resort to other mode provided therein, cannot and should not be construed only to the incidents/events prior to the passing of an order by the Commission, but are also in aid of the order passed by the Commission and its enforcement/execution, as otherwise, the legislative will behind the enactment gets defeated."* [emphasis supplied]

9.9 अतः नियम संख्यां 11 (क) सूचना के अधिकार कानून की मंशा के विपरीत है क्योंकि ये नियम राज्य सूचना आयोग के निहित अधिकारों के विरूद्ध है। यदि इस नियम को लागू कर दिया जाये तो राज्य सूचना आयोग के लिये अपने आदेशों का अनुपालन करवाना असंभव हो जाएगा।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 11 (क) के दूसरे वाक्य को नियम से हटा देना चाहिए।

9.10 नियम संख्यां 11 (ङ) के अनुसार ऐसे लोक सूचना अधिकारी जो निरन्तर सूचना के अधिकार कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं के विरूद्ध अनुशासनात्मक करने की सिफ़ारिश संस्तुति कर सकता है। हलांकि सूचना आयोग के लिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं होगा। सूचना के अधिकार कानून की धारा 20(2) की इस विसंगति को

सर्वोच्च न्यायालय ने मनोहर S/O मानिकराव अनचूले बनाम महाराष्ट्रा एंव अन्य (सिविल अपील संख्यां 9905/2012, निर्णय की तारीख 13/12/2012) में निम्नलिखित प्रकार से बतलाया है:

> *"30. All the attributable defaults of a Central or State Public Information Officer have to be without any reasonable cause and persistently. In other words, besides finding that any of the stated defaults have been committed by such officer, the Commission has to further record its opinion that such default in relation to receiving of an application or not furnishing the information within the specified time was committed persistently and without a reasonable cause. Use of such language by the Legislature clearly shows that the expression 'shall' appearing before 'recommend' has to be read and construed as 'may'. There could be cases where there is reasonable cause shown and the officer is able to demonstrate that there was no persistent default on his part either in receiving the application or furnishing the requested information. In such circumstances, the law does not require recommendation for disciplinary proceedings to be made. It is not the legislative mandate that irrespective of the facts and circumstances of a given case, whether reasonable cause is shown or not, the Commission must recommend disciplinary action merely because the application was not responded to within 30 days. Every case has to be examined on its own facts. We would hasten to add here that wherever reasonable cause is not shown to the satisfaction of the Commission and the Commission is of the opinion that there is default in terms of the Section it must send the recommendation for disciplinary action in accordance with law to the concerned authority. In such circumstances, it will have no choice but to send recommendatory report. The burden of forming an opinion in accordance with the provisions of Section 20(2) and principles of natural justice lies upon the Commission."* [emphasis supplied]

बदलाव के लिये अनुशंसाः

नियम संख्यां 11(ङ) को संशोधित कर राज्य सूचना आयोग के लिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक करना आवश्यक करना चाहिए।

9.11 नियम संख्यां 11 के (क) अनुसार अपीलकर्ता को जुर्माने और मुवावजे की देय राशि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्णय के दो महीने के पश्चात होगी। इस नियम का उद्देश्य स्प्ष्ट नहीं है। रूपये अथवा बडे रकम की वसूली दो महीने में करना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे निर्णय का अनुपालन दो महीने के भीतर होना चाहिए ताकि ऐसे निर्णय के विरूद्ध संबंधित उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके एंव लोक प्राधिकरण को जुर्माने और मुवावजे की वसूली के लिय किस्तों की सीमा तय करने की छूट होनी चाहिए।

9.12 नियम संख्यां 11(ख) एंव 11(ग) के अनुसार जुर्माने और मुवावजे के आदेश के अनुपालन के विषय में उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वापस सूचित करने की जिम्मेवारी लोक प्राधिकरण की नहीं होगी। ऐसे नियम को लागू किया जाना एक गंभीर चूक साबित हो सकती है। उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्णय का अनुपालन एक निश्चित समय सीमा के भीतर होना चाहिए अथवा संबंधित उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। सूचना आयोग के आदेश की गयी कार्यवायी के विषय में सूचना आयोग को जानकारी देना लोक प्राधिकरण का कर्तव्य है।

9.13 नियम संख्यां 11(घ) के अनुसार लोक प्राधिकरण से क्षतिपूर्ति एंव शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आदेश की प्राप्ति होने पर आयोग, सम्बधित क्षतिपूर्ति एंव शास्ति वसूलने कार्यवाही समाप्त कर देंगे और इस संबंघ में आयोग द्वारा अन्य किसी भी प्रकर की कार्यवाही अथवा अनुश्रवण नहीं किया जायेगा। यदि इस नियम को लागू किया जयेगा तो सूचना आयोग एक दतंहीन संस्था होकर रह जाएगी। जैसा की पैराग्राफ़ 9.8 में भी लिखा गया है की यदि मूल अधिनियम की धारा 18 एंव धारा 20(1) तथा 20(2) को एक साथ पढा जाए तो यह स्पष्ट है की लोक सूचना आयोग के अपने क्षतिपूर्ति एंव शास्ति वसूलने के आदेश का अनुपालन कर सकता है। नियम संख्या 11 (घ) मूल अधिनियम के विपरीत हैं एंव इन्हें हटा देन चाहिए।

बदलाव के लिये अनुशंसाः

- **नियम सम्ख्यां 11 (क) को क्षतिपूर्ति एंव शास्ति की वसूली किस्तों में करने के उपाय किये जाने चाहिए।**
- **नियम सम्ख्यां 11 (ख) एंव (ग) में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि लोक प्राधिकरण के मामलों में लोक सूचना आयोग कि अनुपालन की सूचना देंगे।**
- **नियम संख्यां 11(घ) में इस प्रकार बदलाव लाया जाना चाहिए ताकि उत्तराखण्ड सूचना आयोग सूचना का अधिकार के तहत का कार्यवाहि कर सकें।**

.

अतिरिक्त जानकारी के लिये सम्पर्क करें :

श्रीमती माया दारूवाला, निदेशिका

श्री वेंकटेश नायक, कार्यक्रम समन्वयक

श्री अमिकर परवार, कार्यक्रम अधिकारी

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
बी-117, द्वितीय तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली, 110017
दूरभाष : 011-43180216/011-43180215
फ़ैक्स : 011-26864688
वेबसाईट् : www.humanrightsintiative.org